वरिष्ठ नागरिक रियायत

कृपया ध्यान दें, दिनांक 20.03.2020 से वरिष्ठ नागरिक रियायत वापस ले ली गई है।
रेलवे बोर्ड सर्कुलर देखने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें ।

वरिष्ठ नागरिक रियायत क्या है ?

भारतीय रेलवे की सभी श्रेणियों के मेल/एक्सप्रेस/राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी/दुरंतो समूह के किराए में कम से कम 60 वर्ष के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों और न्यूनतम 58 वर्ष की महिला वरिष्ठ नागरिकों को किराया में छूट दी गई है।

रियायत छूट पुरुषों के लिए 40% और महिलाओं के लिए 50% है।

वरिष्ठ नागरिक रियायत का लाभ उठाने की प्रक्रिया क्या है ?

न्यूनतम 60 वर्ष के पुरुष वरिष्ठ नागरिक और न्यूनतम 58 वर्षीय महिला वरिष्ठ नागरिक, आईआरसीटीसी ई–टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in के यात्री विवरण फार्म पर उचित आयु प्रदान करके और ''वरिष्ठ नागरिक रियायत'' के तहत ''रियायत प्राप्त करे'' विकल्प चुनकर वरिष्ठ नागरिक रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक रियायतों का लाभ लेने वाले यात्रियों को यात्रा करते समय उम्र का प्रमाण रखना होता है।

वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़ना क्या है ?

वरिष्ठ नागरिक यात्री जो "वरिष्ठ नागरिक रियायत" के लिए पात्र हैं, वे राष्ट्र के विकास में अपने योगदान के लिए टिकट बुकिंग में मिली रियायत को अपनी स्वेछा से पूर्ण रूप से या किसी हिस्से को छोड़कर अपना टिकट बुक कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक रियायत के बिना टिकट बुक करने के लिए ''वरिष्ठ नागरिक रियायत'' के तहत ''पूर्ण रियायत छोड़े'' का विकल्प यात्री विवरण फार्म पर चुन सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिक रियायत के 50% के साथ टिकट बुक करने के लिए ''वरिष्ठ नागरिक रियायत'' के तहत ''50% रियायत छोड़े'' का विकल्प यात्री विवरण फार्म पर चुन सकते है।